



राजस्थान - सरकार  
शिक्षा - विभाग

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान  
वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>  
ई.मेल-[hrd.cce@gmail.com](mailto:hrd.cce@gmail.com) फोन नं. 0141-2705471

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2021/1303

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय:- स्थानान्तरण आदेशों के सम्बन्ध में पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हेतु जारी आदर्श आचार संहिता के पालना हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के 06 जिलों (जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर एवं सिरोही) में दिनांक 05.08.2021 से पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

विभाग द्वारा सह/सहायक आचार्यों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के दिनांक 10.08.2021, 11.08.2021 एवं 12.08.2021 को किये गये विभिन्न स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना हेतु जिन जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में भी निर्देश प्रदान किये हैं।

इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्र क्रमांक 3796 दिनांक 12.08.2021 के क्रम में पुनः लेख है कि स्थानान्तरण आदेशों की पालना हेतु कार्मिक को आदर्श आचार संहिता प्रभावित जिलों में कार्यग्रहण करवाना हो अथवा कार्यमुक्त करना हो दोनों ही परिस्थितियों में कार्मिक को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे चाहे स्थानान्तरण उसी जिले में क्यों न किया गया हो।

उक्त की पालना सुनिश्चित करावें।

(सदेश नायक)  
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2021/1303

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान को उनके पत्रांक एफ.7(7)(2)पंचा/रानिआ/2021/3796 दिनांक 12.08.2021 के संदर्भ में
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. वेबसाईट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.आर.सी.मीना)  
संयुक्त निदेशक (HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर